177

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2879--दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25-07--2012 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1054/अपील/2007—08.

.....

भैयालाल मिश्र तनय श्री अयोध्या प्रसाद
निवासी ग्राम बांस तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

---- आवेदक

विरूद्ध

लक्ष्मण प्रसादमिरपिता श्री अयोध्या प्रसाद
निवासी ग्राम बांस तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

---- अनावेदक

.....

श्री भानू प्रताप सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री भास्कर पाण्डेय, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 22/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25--07—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय में ग्राम बड़ागांव की भूमि खाता क्रमांक 252/1 कुल किता 5 रकबा 2.554 है0 के बंटनवारा हेतु आवेदन पत्र म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत पुल्ली के आधार पर बंटनवारा आदेश पारित किया

जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर जिला रीवा के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि म0 प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के प्रावधानों के तहत विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 25.7.12 को स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की है एवं अनावेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपनी निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में अनावेदक द्वारा संयुक्त खाते की भूमियां होने के कारण यह आवेदन किया था कि राजस्व खातों में प्रथक नाम न होने के कारण शासन की योजनाओं से वंचित होना पड़ता है। आवेदन पत्र के साथ खसरा पंचशाला वर्ष 04–05 भी प्रस्तुत किया गया जिसमें ग्राम बड़ागांव की भूमि कुल रकबा 2.554 है0 संयुक्त रूप से भैयालाल के नाम दर्ज हैं प्रकरण में दिनांक 30.4.08 का विकय पत्र भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें विकेता शशिदेवी कलावती एवं कृष्णावती से उपरोक्त भूमियां भैयालाल एवं लक्ष्मण प्रसाद द्वारा 49.000/–रूपये में कय की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई में अनावेदक उपस्थित हुये थे एवं उनकी आपत्ति पर विचार किया गया। प्रकरण में केवल दो ही पक्षकार है एवं दोनों सुनवाई में उपस्थित हुये। यह कहना कि एक तरफा सुनवाई हुई उचित नहीं हैं तहसीलदार के द्वारा 10.4.07 को अंशों के बंटवारें के निर्धारण के आक्षेप पर कार्यवाही 3 माह के लिये स्थिगित कर दी गई थी एवं प्रकरण दिनांक 11.7.07 को नियत कर दिया था चूंकि उत्तरवादी के द्वारा ही इस प्रकार की आपत्ति की गई थी। अतः सिविल न्यायालय में जानेकी जिम्मेदार भी उन्हीं की थी। भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है एवं पैतृक नहीं है। अतः विकय पत्र के आधार पर दोनों भाईयों को आधा–2 हिस्सा विकय पत्र से ही प्रमाणित है ऐसी स्थिति में उत्तरवादी का यह तर्क की उनके द्वारा उपरोक्त भूमि तन्हा कय

की गई उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में यह उल्लेख अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश के अंतिम पैरा में किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 1054/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 25–7–12 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर